प्रेस विज्ञप्ति

14.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), पणजी आंचलिक कार्यालय ने जीवा माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड और अन्य के मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत **2.29 करोड़ रुपये** मूल्य की तीन अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है।

ईडी ने गोवा पुलिस की आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ द्वारा धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के अपराधों के लिए दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। गोवा पुलिस ने अनुसूचित अपराध में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है।

कुर्क की गई संपत्तियों में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी जिले के गालेल में स्थित दो भूखंड और मुंबई के अंधेरी (पश्चिम) में स्थित एक आवासीय फ्लैट शामिल हैं। कुर्क की गई संपत्तियां अपराध की आय का प्रतिनिधित्व करती हैं और इन्हें अभियुक्तों के नाम पर अधिग्रहित किया गया था। इन संपत्तियों को 2010 के दौरान मेसर्स लाओ टिंग दाडी मोबाइल कंपोनेंट्स कंपनी लिमिटेड को लगभग 13.42 करोड़ रुपये (2.95 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की धोखाधड़ी से प्राप्त अपराध की आय का उपयोग करके अधिग्रहित किया गया था।

जांच से पता चला कि आरोपियों ने स्वामित्व और खनन अधिकारों के संबंध में झूठे आश्वासनों और गलत बयानों के आधार पर लाओ टिंग दाडी मोबाइल कंपोनेंट्स कंपनी लिमिटेड को जीवा माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के माध्यम से लौह अयस्क खनन और निर्यात के लिए एक संयुक्त उद्यम में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया।

खनन और निर्यात कार्यों के लिए पर्याप्त धनराशि प्राप्त होने के बावजूद, कोई भी उत्खनन या निर्यात गतिविधि कभी नहीं की गई। इसके बजाय, आरोपियों ने अचल संपत्तियों के अधिग्रहण सहित व्यक्तिगत लाभ के लिए धनराशि का दुरुपयोग किया। बैंक रिकॉर्ड के विश्लेषण से धोखाधड़ी से प्राप्त धनराशि की व्यवस्थित हेरफेर, लेयरिंग और उपयोग स्थापित हुआ।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।